1638/11-5-2024

संख्या-530/एक-10-2024-33(07)/2024

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन।

राजस्व अनुभाग- 10 लखनऊः दिनांक 16/03/2024

विषयः-जनपद गोरखपुर में राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अन्तर्गत नगरीय बाढ नियंत्रण राष्ट्रीय आपदा योजना के कार्यो से सम्बन्धित प्रायोजना के बजट आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नगर आयुक्त नगर निगम गोरखपुर के पत्र दिनांक 29.02.2024 जिसके माध्यम से नगर निगम गोरखपुर के शहरी क्षेत्रों में बाढ एवं जल भराव की समस्या के निस्तारण हेतु राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अन्तर्गत नगरीय बाढ नियंत्रण एवं न्यूनीकरण के कार्यो से सम्बन्धित प्रायोजना प्रस्ताव के कार्यो के हेतु राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से धनराशि अवमुक्त किये जाने की मांग की गयी है, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अप्रजेल कमेटी की बैठक दिनाँक 10.01.2024 में तीन चरणों में कार्य कराये जाने तथा प्रथम चरण में कार्य हेतु रू. 20.00 करोड़ की धनराशि निर्गत किये जाने की संस्तुति की गयी, जिसके क्रम में राज्य आपदा प्रबन्धन समिति की राज्य कार्य कारिणी समिति की बैठक दिनांक 08.02.2024 में समिति द्वारा राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से धनराशि स्वीकृति किये जाने पर अनुमोदन प्राप्त हुआ है, उक्त के क्रम में नगर निगम गोरखपुर के शहरी क्षेत्रों में बाढ एवं जल भराव की समस्या के निराकरण हेतु राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अन्तर्गत नगरीय बाढ नियंत्रण एवं न्यूनीकरण के कार्यो से सम्बन्धित प्रायोजना प्रस्ताव के कार्यो हेतु प्रायोजना रचना मूल्यांकन प्रभाग द्वारा प्रस्तावित लागत रू0 6256.00 लाख के सापेक्ष परियोजना की लागत रू0 5675.84 लाख अनुमोदित किया गया है। उक्त परियोजना की प्रायोजना रचना मूल्यांकन प्रभाग द्वारा अनुमोदित लागत रू0 5675.84 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के साथ प्रथम किश्त के रूप में रू0 20,00,00,000/- (रूपये बीस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित करते हुए उक्त धनराशि रू0 20,00,00,000/- आपके के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

नियम एवं शर्तें-

1. उक्त स्वीकृत धनराशि नगर आयुक्त नगर निगम, गोरखपुर को उक्त कार्य हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए आवंटित कर समयबद्ध रूप से पूर्ण करायी जायेगी।

2. प्रायोजना में स्ट्रक्चरल कार्यों हेतु 5 वर्षों के लिए एवं नान स्ट्रक्चरल कार्यों हेतु 4 वर्षों के लिए आपरेशन एवं मेन्टीनेन्स की कुल धनराशि रू0 1068.13 लाख अनुमन्य की गयी है। यह धनराशि इन कार्यों हेतु न्यूनतम आवश्यकता एवं वास्तविक व्यय के आधार पर सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त देय होगी।
3. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य तकनीकी प्रकृति के हैं। अतः नगर विकास विभाग/नगर निगम, गोरखपुर द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नगर निगम, गोरखपुर में उक्त कार्यों को कराने हेतु तकनीकी रूप से दक्ष अधिकारी/ कर्मचारी उपलब्ध रहें।
4. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी.एस.टी. की धनराशि अनुमन्य की गयी है। नगर विकास विभाग/नगर निगम, गोरखपुर द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय की प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।
5. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित पम्प सेट, डी0जी सेट, स्काडा/नान स्ट्रक्चरल के कार्य इत्यादि बॉट आउट श्रेणी में आते हैं। क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करे। चूँकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः नगर विकास विभाग/नगर निगम, गोरखपुर से यह अपेक्षा की जाती है कि निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।
6. नगर विकास विभाग/नगर निगम, गोरखपुर द्वारा निमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
7. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरादायित्व कार्यदायी संस्था/ नगर विकास विभाग/नगर निगम, गोरखपुर का होगा।
8. प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आंवटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रभाग का मत है कि प्रयोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।
9. प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए लागत का आंकलन किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढाना एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। नगर विकास विभाग/नगर निगम, गोरखपुर द्वारा इस आशय का उल्लेख संबंधित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।
10. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व नगर विकास विभाग/नगर निगम, गोरखपुर द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में

किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

11.प्रायोजनान्तर्गत धनराशि जिस कार्य/ मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जावेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्ययवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

12.प्रायोजनान्तर्गत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगत नियमों/प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

13.कार्य की विशिष्टियां मानक गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

14.कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड पर कार्य का पूर्ण विवरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य प्रारभ होने कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

15.स्वीकृत धनराशि आहरण हेतु निकायों द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी / सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी द्वारा निकायों के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। निकायों द्वारा स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यों पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है। आहरित धनराशि किसी अन्य डाकघर/ डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

16.परियोजना से संबंधित कार्य पूर्ण होने के पश्चात इसका रख-रखाव निकाय द्वारा किया जायेगा।

17.प्रश्नगत निधि से स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत मदों से इतर अन्य मदों/ कार्यों में नहीं कया जायेगा।

18.ऑडिट कराने का दायित्व संबंधित नगर विकास विभाग एवं सम्बन्धित नगर निगम का होगा।

19.स्वीकृत धनराशि का उपयोग मानदेय वेतन/ईधन/ मरम्मत/अनुरक्षण में नहीं किया जायेगा।

20.स्वीकृत धनराशि का उपयोग पूर्व की योजनाओं/कार्यों में नहीं किया जायेगा।

21.स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।

22.राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि की उक्त धनराशि का उपयोग भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDMA दिनांक 14.01.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

23.समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2024 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2024 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी

24.जिस मद में धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा।

25.उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर 369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।

26.व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और

प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

27.जेम पोर्टल /ई-टेण्डरिंग के माध्यम से क्रय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

28.वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 के प्राविधानों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये रु० 20,00,00,000/- (रुपये बीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 4250-101-05-24 वृहद निर्माण कार्य मद में स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023- 231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally Signed by राम केवल
Date: 16-03-2024 14:10:23
Reason: Approved

(राम केवल)
विशेष सचिव।

संख्या-530(1)/एक-10-2024,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः –

1. महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज ।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ०प्र० लखनऊ ।
3. राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. मण्डलायुक्त गोरखपुर।
5. जिलाधिकारी, गोरखपुर।
6. उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।
7. विशेष सचिव / नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
8. नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर।
9. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. वरिष्ठ वित एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र० ।
11. कोषाधिकारी / मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
12. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
13. कोषाधिकारी, गोरखपुर।
14. वित (व्यय - नियंत्रण) अनुभाग- 5
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-18/03/2024

प्रेषण संख्या:- 530
आवंटन आदेश संख्या:- 001-530
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - प्राकृतिक आपदाएं
05 - स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2877-निदेशक - स्थानीय निकाय , लखनऊ-01-लखनऊ	वर्तमान प्रगामी	200000000 215045500	200000000 215045500
	योग	वर्तमान प्रगामी	200000000 215045500	200000000 215045500

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया बीस करोड़
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया इक्कीस करोड़ पचास लाख पैंतालीस हजार पाँच सौ

(जान्हवी मोहन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(जान्हवी मोहन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन